



फाइल नं0-71-3002(003)/1/2022-03

22/2026/1/1215073/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत फेज-1, फेज-2 एवं फेज-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, जौनपुर में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) तथा जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर तथा हृदय रोग संस्थान, कानपुर में मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में अनुपूरक मांग से प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-संख्या-एमई/बजट/2025-26/419, दिनांक 01.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व पक्ष के अधीन अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत फेज-1, फेज-2 तथा फेज-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, जौनपुर हेतु मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) तथा जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर तथा हृदय रोग संस्थान, कानपुर में मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में निम्न विवरणानुसार अनुपूरक मांग से प्राविधानित धनराशि **रु0 92,59,91,000.00 (रु0 बानबे करोड़ उनसठ लाख इक्यानबे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(रु0 लाख में)

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	लेखाशीर्षक	मानक मद	अनुपूरक मांग के माध्यमसे बजट प्राविधान	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	एटा	2210-05-105-03-48	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	200.00	200.00
2	प्रतापगढ़	2210-05-105-03-50	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	1000.00	1000.00
3	फतेहपुर	2210-05-105-03-51	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	100.00	100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4	सिद्धार्थनगर	2210-05-105-03-52	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	1000.00	1000.00
5	देवरिया	2210-05-105-03-53	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	200.00	200.00
6	गाजीपुर	2210-05-105-03-54	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	1000.00	1000.00
7	फिरोजाबाद	2210-05-105-03-81	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	200.00	200.00
8	बस्ती	2210-05-105-03-82	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	800.00	800.00
9	अयोध्या	2210-05-105-03-83	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	200.00	200.00
10	बहराइच	2210-05-105-03-84	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	200.00	200.00
11	शाहजहाँपुर	2210-05-105-03-85	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	800.00	800.00
12	जौनपुर	2210-05-105-03-86	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	500.00	500.00
13	फेज-3 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन	2210-05-105-03-93	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	3000.00	3000.00
14	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट	2210-05-105-03-44	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50.00	50.00
15	जे0के0 इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर	2210-05-105-05-01	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	9.91	9.91
				योग-	9259.91

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्हीं अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2026/बी-2-01/दस-2026-244/2025, दिनांक 05.01.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि फेज-1 एवं फेज-2 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों के प्रधानाचार्य/निदेशक तथा फेज-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि यदि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की गई धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने के पश्चात् वेतनादि में प्राविधानित उक्त अनुपूरक धनराशि का आहरण किया जाये।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षः 2210051050344 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
031	2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
कुल			50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)

लेखाशीर्षः 2210051050348 (मेडिकल कालेज, एटा)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
031	2210051050348 मेडिकल कालेज, एटा	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
कुल			2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)

लेखाशीर्षः 2210051050350 (मेडिकल कालेज, प्रतापगढ़)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
031	2210051050350 मेडिकल कालेज, प्रतापगढ़	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

कुल			10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
-----	--	--	--

लेखाशीर्ष: 2210051050351 (मेडिकल कालेज, फतेहपुर)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
031	2210051050351 मेडिकल कालेज, फतेहपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
कुल			1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050352 (मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
031	2210051050352 मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
कुल			10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050353 (मेडिकल कालेज, देवरिया)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
031	2210051050353 मेडिकल कालेज, देवरिया	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
कुल			2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050354 (मेडिकल कालेज, गाजीपुर)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
031	2210051050354 मेडिकल कालेज, गाजीपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
कुल			10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050381 (मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
031	2210051050381 मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
कुल			2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050382 (मेडिकल कालेज, बस्ती)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
---------------	-------------	---------	-------------------

-
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

031	2210051050382 मेडिकल कालेज, बस्ती	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
कुल			8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050383 (मेडिकल कालेज, अयोध्या)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
031	2210051050383 मेडिकल कालेज, अयोध्या	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
कुल			2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050384 (मेडिकल कालेज, बहराइच)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
031	2210051050384 मेडिकल कालेज, बहराइच	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
कुल			2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050385 (मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
031	2210051050385 मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
कुल			8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050386 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
031	2210051050386 राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
कुल			5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050393 (फेज-III के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
031	2210051050393 फेज-III के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	30,00,00,000 (रुपये तीस करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

कुल			30,00,00,000 (रुपये तीस करोड़ मात्र)
-----	--	--	---

लेखाशीर्षः 2210051050501 (जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
031	2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	9,91,000 (रुपये नौ लाख इक्यानबे हजार मात्र)
कुल			9,91,000 (रुपये नौ लाख इक्यानबे हजार मात्र)

महायोग	92,59,91,000 (रुपये बानबे करोड़ उनसठ लाख इक्यानबे हजार मात्र)
--------	--

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)

संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, फिरोजाबाद, बस्ती, अयोध्या, बहराइच, शाहजहाँपुर, जौनपुर, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी, अमेठी।
4. निदेशक, जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर/हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, फिरोजाबाद, बस्ती, अयोध्या, बहराइच, शाहजहाँपुर, जौनपुर, बिजनौर, कुशीनगर,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी, अमेठी।

7. वित्त नियंत्रक, जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर/हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
8. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, एटा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, फिरोजाबाद, बस्ती, अयोध्या, बहराइच, शाहजहाँपुर, जौनपुर, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी, अमेठी तथा कानपुर।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।